


e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP84957713480167U
Certificate Issued Date	: 03-Sep-2022 10:59 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1410400462324027557646U
Purchased by	: BRAJ VAAS REAL ESTATE
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: MAUJA RAAL TEHSIL AND DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: DEEPAK AGRAWAL
Second Party	: BRAJ VAAS REAL ESTATE
Stamp Duty Paid By	: BRAJ VAAS REAL ESTATE
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 96,320 (Ninety Six Thousand Three Hundred And Twenty only)



Please write or type below this line

Zamy

AM

BM

Deepak A




Ashish



11.54 AM

0013877311



- 1.भूमि का प्रकार-कृषि भूमि
- 2.स्थित मौजा राल तहसील व जिला मथुरा
- 3.सम्पत्ति का क्षेत्रफल- रकवा 0.39233 हैक्टेयर
- 4.पेडो का मूल्यांकन - नहीं
- 5.बोरिंग / कुआ / अन्य-नहीं
- 6.प्रतिफल की धनराशि-1376000 /-रूपये
- 7.स्टाम्प हेतु मालियत 1376000 /-रूपये
- 8.अदा किये जाने वाला स्टाम्प 96320 /-रूपये का ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट जो ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट इस प्रलेख के साथ संलग्न किया जा रहा है ।
- 9.सरकारी दर भूमि सामान्य कृषि दर होने की वजह से 3500000 /-रूपये प्रति हैक्टेयर जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 43 क्रमांक 80 कोड नंबर-1031 पर दर्ज है । कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा प्रथम
- 10.क्रेता विक्रेता भारतीय मूल के निवासी है ।

विक्रेता का विवरण

दीपक अग्रवाल पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद निवासी विजय लक्ष्मी
अपार्टमेन्ट 98 एक्सटेंशन दिल्ली विक्रेता प्रथमपक्ष
पेन-ए सी ई पी ए 6212 सी मो0 9818689944

Deepak A

Ashish

क्रेता का विवरण


बृजवास रीयल स्टेट द्वारा पार्टनर आशीष कौशिक पुत्र श्री रमेश-
चन्द कौशिक निवासी 16 सी बैंक कालौनी पोस्ट कृष्णानगर मथुरा
क्रेता द्वितीयपक्ष

पेन-ए ए एक्स एफ बी 6618 जी

मो0 9911553333

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर 00622 व खसरा नंबर 398 रकवा 1.1770 हैक्टेयर लगानी रुबरू कागजात बाकै मौजाल तहसील व जिला मथुरा में विक्रेता प्रथमपक्ष का हिस्सा 1/3 यानि आराजी रकवा 0.39233 हैक्टेयर है जो मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है जिस पर विक्रेता प्रथमपक्ष का कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगडे झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिसमे सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी रकवा 0.39233 हैक्टेयर एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है। कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष को लाभ है जिससे प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः आराजी रकवा 0.39233 हैक्टेयर को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 1376000/-तेरहा लाख छिहत्तर हजार रुपये में बहक क्रेता बृजवास रीयल स्टेट द्वारा पार्टनर आशीष कौशिक पुत्र श्री रमेश चन्द कौशिक निवासी 16 सी बैंक कालौनी पोस्ट कृष्णानगर मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रूपया खरीदार द्वितीयपक्ष से निम्न भांति पाकर बेची गई उक्त आराजी रकवा 0.39233 हैक्टेयर पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार द्वितीयपक्ष बेची गई आराजी रकवा 0.39233 हैक्टेयर की सम्पूर्ण स्वामी हुई । खरीदार द्वितीयपक्ष समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी रकवा 0.39233 हैक्टेयर से कोई भी सम्बन्ध किसी भी




प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा । यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोडा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जवाबदेही व खर्चा अदालत व अदा कर्दा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष के जिम्मे है और खरीदार द्वितीयपक्ष वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें इसमें विक्रेता प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं होगी । बिक्रित कृषि भूमि पर कृषि कार्य अनवरत रूप से चल रहा है वर्तमान मे भी खेती हो रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खडी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । बेचे जाने वाली आराजी को संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से रंग लाल से दर्शायी गयी है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है । उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषि कार्य हो रहा है । उक्त प्रलेख क्रेता व विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार झापट किया गया है ।

तस्दीकी मुख्तारनामा आम दिनांक-28.02.2014 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर-6 खण्ड 3 के सफा 269/278 नंबर 4 पर दिनांक-28.02.2014 पर हुई अजय शर्मा पुत्र स्व0 श्री मदनलाल शर्मा निवासी 34 कलाकुंज कालौनी भूतेश्वर मथुरा को उक्त आशीष कौशिक पुत्र श्री रमेश चन्द कौशिक निवासी 16 सी बैंक कालौनी पोस्ट कृष्णानगर मथुरा की ओर से उनके हस्ताक्षरित व अंगुष्ठ लगे प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त है ।

विवरण मूल्यों के रूपयों की प्राप्ति का

1376000/-रूपये बजरिये आर0टी0जी0एस0 द्वारा पहले पाये

Rupale



Ashish



लिहाजा यह वैनामा वखुशीराजी खूवसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें ।

Depalle A


Ashish


दिनांक-03.09.2022


टाईप किया-आरती अग्रवाल

ड्राफ्ट किया- सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट मथुरा

Subhash Kumar Chaturvedi
 Advocate
 Sub Registrar Circle Mathura
 Mob-No. 9897022101

साक्षी नंबर-1 धर्म सिंह पुत्र श्री कन्हैया सिंह
 निवासी ग्राम सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा
 मो0 8755998522

धर्म सिंह



साक्षी नंबर-2 मेघश्याम वाष्णोय पुत्र श्री हरीशचन्द्र वाष्णोय
 निवासी गोपीनाथ बाजार वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा
 मो0 8755998517

मेघश्याम वाष्णोय

